Registered

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No. Pension. (M)/Dearness Relief/ 2908 Dated:- 10.03.10

To,
Accountant General (A&E) Andhra Pradesh
Saifabad Hyderabad 500004

Subject: - (1) Grant of Dearness Relief to UP Govt. Civil Pensioners/Family Pensioners w.e.f.01-07-2009 @ 27 %(22%+05%)
(2) Pension Revision of Retired Judicial Officers as per Shetty Commission Report.

Sir,

I am forwarding herewith copy of Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 Office Memorandum No.Sa-3-02.G.I./X-2010-301-2000 T.C. Dated Luck now: 22 January 2010 regarding payment of Dearness Relief to U.P.Government Civil Pensioners/Family Pensioners @ 27%(22%+05%) w.e.f.01-07-2009.

And Memorandum No. Appointment Section -4 No.4070/2-4-2009-45(12)/91 T.C. Dated Luck now: 30 December 2009 regarding Pension Revision of Retired Judicial Officers as per Shetty Commission Report.

It is requested that above mentioned Dearness Relief Order may please be circulated to all Treasuries situated in your State immediately under intimation to this office.

Enclosure: - As stated above.

Yours faithfully

(Vijay Kumar)
Sr, Accounts Officer

No. Pension. (M)/DR/ Dated:-

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary Finance (General) Section-3 Government of Uttar Pradesh With reference to his G.O. No. Sa-3-02.G.I./X-2010-301-2000 T.C. Dated Luck now: 22 January 2010.
2. The Sr, Accounts Officer /SSA (Cell) O/o the AG (A&E) 11 UP Allahabad.

Sr, Accounts Officer

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–02जी0आई0 / दस–2010–301 / 2000टी0सी0
लखनऊ : दिनॉक : 22 जनवरी, 2010

कार्यालय – ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय – ज्ञाप संख्या–सा–3–538 / दस– 2008–301 / 2000 टी0सी0, दिनॉक 15 जून, 2009 जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनॉक 01 जनवरी, 2009 से 22 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के कम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 15–06–2009 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनॉक 01 जुलाई 2009 से महँगाई राहत की 05 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनॉक – 01 जुलाई, 2009 से 05 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की वर्तमान 22 प्रतिशत की दर बढ़कर 27 प्रतिशत हो जायेगी।

3– महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4– यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या – सा– 3 – जी0 आई0–01 / दस – 2010 – 301 / 2000, दिनॉक 08–01–2010 द्वारा जारी

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No-Sa-3-02 G.I. /X-2010-301/2000T.C.
Dated : Lucknow: 22 January, 2010

Office - Memorandum

Subject-Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. Sa-3-538/X-2008-301/2000T.C. dated June, 15, 2009 on the above mentioned subject, sanctioning additional instalment of dearness relief with effect from January 01, 2009 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 05 percent, with effect from July 01, 2009, the rate of dearness relief admissible to all civil / family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 05 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 22 to 27 percent with effect from July. 01, 2009.

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India

---2/-

किए जा चुके है।

5– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6– शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ए–1–252 / दस–10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार – पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय – ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7– महँगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(बी०एन० दीक्षित)
सचिव, वित्त।

सेवा में,

उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

Service pensioners / family pensioners have been issued vide endorsement number G-3-G.I.-01/X-2010- 301/2000, dated 08 January, 2010.

5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the Education / Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in G.M. No. A - 1 - 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(B.N. Dixit)
Secretary, Finance.

To,

All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–99 सा० वित्त–28.1.2010–(2141)–5000–(आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–4
संख्या:4070/दो–4–2009–45(12)/91टीसी
लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर,2009

कार्यालय–ज्ञाप

न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों से सम्बन्धित रिट याचिका (सिविल) संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के अनुक्रम में फोरम आफ रिटायर्ड जजेज आफ यू0पी0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल आई.ए. संख्या–239/2008 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.7.2009 एवं 07.10.09 के अनुपालन में तथा इससे पूर्व महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 4.2.2009 में यह बताया गया है कि पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (past pensioners)की पेंशन निर्धारण एवं पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के पैरा 23.18 में निम्नांकित संस्तुति की गयी है जिसे मा. उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.3.2002 द्वारा स्वीकार किया है:–

(1) The Revised Pension of the Retired Judicial Officers should be 50% of the minimum pay of the post held at the time of retirement as revised from time to time.
(2) There should not be any ceiling limit on the maximum pension payable.

उपर्युक्त संदर्भ में आई.ए. संख्या–239/2008 में न्यायिक सेवा के दिनांक 1.7.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिये पूर्ण पेंशन हेतु अनिवार्य सेवा अवधि की सीमा को हटा लिये जाने की मांग की गयी है और कहा गया है कि अनिवार्य अवधि की सीमा रखा जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं शेट्टी कमीशन की संस्तुतियों के विपरीत है।

2– अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 न्यायिक सेवा के दिनांक 1.7.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों (past pensioners) की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1645/दो–4–04–45(12)/91टीसी दिनांक 20.9.2004 एवं सपठित शासनादेश 5615/दो–4–06–22(10)/05 दिनांक 25.8.2006 शासनादेश संख्या–8032/दो–4–06–22(10)/05 दिनांक 28.3.07 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–1939/दो–4–09–45(12)/91टी.सी. दिनांक 23.5.09 में जारी निर्देशों को केवल उक्त सीमा तक संशोधित करते हुए उपरोक्त पैरा–1 में अंकित संस्तुति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु अनिवार्य सेवा अवधि की शर्त हटा लिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–सा.–3–1449/दस–2009, दिनांक 30 दिसम्बर 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

कुँवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव

संख्या:4070(1)/दो—4—2009—45(12)/91टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, 8वॉ तल, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6— अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन, कचहेरी रोड, इलाहाबाद।
7— समस्त मण्डल अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0।
8— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3
10— समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
11—समस्त जिला जज, उ0 प्र0।
12—श्री श्रीश कुमार मिश्रा एडवोकेट आन रिकार्ड 236 न्यू लायर्स चैम्बर सुप्रिम कोर्ट नई दिल्ली।
13—इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ
14—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए.के.सिंह राठौर)
विशेष सचिव।